भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न 1706
मंगलवार, 10 फरवरी, 2026/21 माघ,1947 (शक) को उत्तरार्थ

प्राथमिक सहकारी समितियों का कम्प्यूटरीकरण

1706. श्री सतीश कुमार गौतमः

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने प्राथमिक सहकारी समितियों के कम्प्यूटरीकरण के लिए कोई योजना लागू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों के दौरान कितनी निधि आवंटित और उपयोग की गई है;

(ग) कम्प्यूटरीकृत हुई प्राथमिक सहकारी समितियों की राज्य-वार संख्या कितनी है और कितनी समितियां अभी तक कम्प्यूटरीकृत नहीं हुई हैं;

(घ) इन समितियों के कितने नियमित कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है और इसके लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से कितने कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है; और

(ङ) सरकार द्वारा कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से प्राथमिक सहकारी समितियों को सुदृढ़ बनाने के लिए क्षमता निर्माण, अवसंरचना विकास और डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) पैक्स परिचालनों की दक्षता बढ़ाने, शासन और पारदर्शिता को सशक्त करने, जिसके परिणामस्वरूप ऋण संवितरण में तेज़ी, लेनदेन की लागत में कमी, भुगतान असंतुलन में न्यूनता और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) एवं राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) के साथ निर्बाध लेखांकन सुनिश्चित हो सके, इस हेतु कार्यशील प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (पैक्स) के कंप्यूटरीकरण की परियोजना को 2,516 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ कार्यान्वित किया गया है, जिसे अब बढ़ाकर 2925.39 करोड़ रुपये कर दिया गया है । इसमें सभी कार्यशील पैक्स को ईआरपी (एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग) आधारित कॉमन राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर पर लाकर राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) के माध्यम से नाबार्ड के साथ लिंक करना शामिल है । यह कॉमन ईआरपी सॉफ्टवेयर देश भर में परियोजना के सभी पैक्स को प्रदान किया जाता है, ताकि क्रेडिट और गैर-क्रेडिट दोनों तरह के पैक्स की सभी

कार्यप्रणालियों पर डेटा कैप्चर किया जा सके। इस सॉफ्टवेयर को राज्यों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है ।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान पैक्स कम्प्यूटरीकरण परियोजना के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को संस्वीकृत की गई निधियों का ब्योरा **संलग्नक-क** में दिया गया है ।

(ग) देश में 1.06 लाख कार्यशील पैक्स हैं, जिनमें से 79,630 कार्यशील पैक्स को पैक्स कंप्यूटरीकरण परियोजना' में शामिल किया गया है, जो सभी कार्यशील पैक्स का 75% है । अब तक कंप्यूटरीकृत की जा चुकी प्राथमिक सहकारी समितियों की संख्या और उन समितियों का ब्योरा जिन्हें अभी कंप्यूटरीकृत किया जाना बाकी है, **संलग्नक-'ख'** पर संलग्न है ।

(घ) और (ङ) पैक्स पदाधिकारियों के क्षमता निर्माण और डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण के लिए, परियोजना पैक्स कर्मियों के प्रशिक्षण का प्रावधान करती है । तदनुसार, अब तक 2-दिवसीय ईआरपी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से 59,030 पैक्स अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है । (साथ ही, 18,969 पैक्स को पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्रदान किया गया है और 41,244 पैक्स को 2 सप्ताह की हैंडहोल्डिंग भी प्रदान की गई है)। इसके अतिरिक्त, पैक्स के दैनिक परिचालन में हैंडहोल्डिंग प्रदान करने के लिए 306 सहायता केंद्र भी स्थापित किए गए हैं ।

आउटसोर्सिंग के लिए, परियोजना ने प्रत्येक राज्य के लिए एक या अधिक सिस्टम इंटीग्रेटर्स (एसआई) की सेवाएं प्रदान की हैं जो राज्य सरकारों/ राज्य सहकारी बैंकों(एसटीसीबी) के साथ अनुबंध के अंतर्गत डिजिटलीकरण के निष्पादन और सहायता एवं हैंडहोल्डिंग' की जिम्मेदारियों के लिए अपने श्रमबल की तैनाती करते हैं । वर्तमान में इस परियोजना के अंतर्गत 31 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 18 सिस्टम इंटीग्रेटर्स(एसआई) तैनात किए गए हैं । तदनुसार, डिजिटलीकरण होने तक और उसके बाद पैक्स को सौंपने, डेटा माइग्रेशन और समाधान आदि के लिए सिस्टम इंटीग्रेटर (एसआई) कर्मी जिम्मेदार हैं । सभी सिस्टम इंटीग्रेटर्स (एसआई) ने औसतन लगभग 200 पैक्स के क्लस्टर/ जिला स्तर पर एक सहायता केंद्र स्थापित करके एक सहायता प्रणाली स्थापित की है। यह पूरी सहायता प्रणाली राज्य सरकारों के समग्र पर्यवेक्षण और नियंत्रण में होगी और संबंधित सिस्टम इंटीग्रेटर (एसआई) द्वारा संचालित की जाएगी । इसके पश्चात, दैनिक डेटा प्रविष्टि, वाउचर बनाना, दैनिक समाधान और डे एंड के लिए पैक्स स्वयं जिम्मेदार हैं ।

हार्डवेयर के लिए पैक्स को वेब कैमरा युक्त मॉनिटर, प्रिंटर, वीपीएन डिवाइस और सीपीयू प्रदान करने हेतु प्रति पैक्स 1,22,158/- रुपये का आबंटन किया गया है । अब तक 31 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 65,153 पैक्स को यह अवसरंचना प्रदान की जा चुकी है ।

*****

संलग्नक-'क'

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	वित्तीय वर्ष 2023-24 में जारी धनराशि	वित्तीय वर्ष 2024-25 में जारी धनराशि	वित्तीय वर्ष 2025-26 में जारी धनराशि
1	छत्तीसगढ़	-	10,20,71,627	3,28,49,970
2	मध्य प्रदेश	25,42,25,000	-	7,77,79,015
3	आंध्र प्रदेश	3,74,47,271	14,53,67,195	4,19,88,192
4	पंजाब	-	-	7,42,17,848
5	पश्चिम बंगाल	-	-	15,25,13,088
6	झारखंड	-	15,10,05,236	8,20,75,591
7	मणिपुर	-	-	59,38,461
8	राजस्थान	43,29,86,131	11,00,00,000	6,75,63,030
9	उत्तर प्रदेश	42,30,41,650	-	13,51,48,883
10	अरुणाचल प्रदेश	12,00,000	9,07,704	86,15,396
11	महाराष्ट्र	33,64,50,000	-	9,13,70,528
12	त्रिपुरा	1,12,50,000	3,03,30,709	1,09,90,658
13	हिमाचल प्रदेश	7,32,00,000	3,09,00,132	8,28,12,789
14	सिक्किम	90,00,000	78,56,659	41,17,730
15	कर्नाटक	15,39,00,000	-	12,19,00,000
16	गोवा	12,50,000	43,73,086	31,03,388
17	मेघालय	-	-	1,11,45,163
18	मिजोरम	-	44,36,418	55,76,489
19	असम	2,45,25,000	6,39,01,601	1,76,35,359
20	बिहार	-	14,65,77,881	4,15,16,464
21	नागालैंड	2,45,68,555	1,59,98,098	1,11,449
22	हरियाणा	2,44,16,000	-	1,50,00,000
23	तमिलनाडु	12,48,20,000	-	6,04,95,261
24	गुजरात	58,30,00,000	22,18,73,654	13,48,44,609
25	ओडिशा*	-	-	18,07,47,384
26	उत्तराखंड	3,68,74,057	-	2,00,00,000
27	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	68,81,462	-	-
28	लद्दाख	12,00,000	-	-
29	जम्मू और कश्मीर	1,51,78,040	1,85,36,744	1,75,21,819
30	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	-	12,36,272	
31	पुडुचेरी	16,75,000	-	5,78,181
उप-योग		**2,57,70,88,166**	**1,05,53,73,016**	**1,49,81,56,745**
नाबार्ड		40,92,18,538	25,00,00,000	-
कुल		**2,98,63,06,704**	**1,30,53,73,016**	**1,49,81,56,745**

* ओडिशा हाल ही में इस परियोजना में शामिल हुआ है।

संलग्नक-'ख'

कंप्यूटरीकृत हो चुके और अभी कंप्यूटरीकृत किए जाने वाले पैक्स की संख्या				
क्रम सं.	**राज्य/संघ राज्यक्षेत्र**	**कुल संस्वीकृत पैक्स**	**ईआरपी पर ऑनबोर्ड किए गए**	**ईआरपी पर ऑनबोर्डिंग प्रक्रियाधीन**
1	महाराष्ट्र	12178	12028	150
2	बिहार	4495	4478	17
3	गुजरात	6216	5705	511
4	आंध्र प्रदेश	2037	2021	16
5	छत्तीसगढ़	2028	2028	0
6	राजस्थान	8525	6157	2368
7	झारखंड	2797	1479	1318
8	पंजाब	3482	3172	310
9	मध्य प्रदेश	5455	4532	923
10	जम्मू और कश्मीर	708	537	171
11	हिमाचल प्रदेश	1885	1376	509
12	हरियाणा	710	624	86
13	उत्तर प्रदेश	6257	3061	3196
14	कर्नाटक	5894	4337	1557
15	असम	850	577	273
16	त्रिपुरा	475	267	208
17	सिक्किम	131	107	24
18	गोवा	86	51	35
19	पुडुचेरी	45	45	0
20	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	46	46	0
21	मिजोरम	99	25	74
22	लद्दाख	10	10	0
23	नागालैंड	231	102	129
24	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	9	4	5
25	अरुणाचल प्रदेश	139	13	126
26	उत्तराखंड	1216	669	547
27	मणिपुर	308	199	109
28	मेघालय	330	11	319
29	तमिलनाडु	4561	4509	52
30	पश्चिम बंगाल	4187	3308	879
31	ओडिशा*	4240	-	4240
कुल योग		**79630**	**61478**	**18152**

* ओडिशा हाल ही में इस परियोजना में शामिल हुआ है।